संख्या:02/2019/3480जे0/22-5-18-300(51)/2017

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी 2019*

विषय- जिला कारागार, बस्ती में निरुद्ध विचाराधीन महिला बंदी कोमल मिश्रा पत्नी रामजी मिश्रा के पुत्र प्रियांशु के उपचार हेतु रू0 40,450/- (चालीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय**,**

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक कारागार (वि0/प्रशि0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-39953/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-म0बं0 कोमल पुत्र प्रियांशु'जि0का0 बस्ती/ 2018, दिनांक 4-12-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, जिला कारागार, बस्ती में निरुद्ध विचाराधीन महिला बंदी कोमल मिश्रा पत्नी रामजी मिश्रा के पुत्र प्रियांशु के उपचार हेतु रू0 40,450/- (चालीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त महिला बंदी के शिशु का उपचार के0जी0एम0यू0 में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दी जाय।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत महिलाबंदी के शिशु का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसकी जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उक्त बंदी के शीघ्र ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(3) कृपया यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-2019 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 जेलें-आयोजनेत्तर के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

2---

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या:02/2019/3480जे0(1)/22-5-18, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

3- मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती ।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।